

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/1068

दिनांक:- 18-1-16

आदेश

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर के अधीन आवास संख्या 12/45, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर को मोहरबन्द नीलामी के माध्यम से निम्न शर्तों के आधार पर निस्तारण करने की प्रशासनिक स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्व द्वारा प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय जोधपुर/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर नीलामी से आवास का निस्तारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त आवास का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें। नीलामी में आवास का निस्तारण किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है, यह भी पूर्णतयः सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें। नीलामी हेतु दर्शाये गये आवासों पर कोई न्यायिक विवाद नहीं है तथा उक्त आवास का निरस्तीकरण नियमानुसार किया गया है।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त महोदय नोटशीट पैरा 19-20/एन पर अनुमोदित है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/सचिव/विर्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय, रा० आ० मा०, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर, रा०आ०म० बीकानेर।
7. अवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम, रा०आ०म० बीकानेर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्राकली।

सम्पदा प्रबंधक (मु०)